दिनांक 27-7-1998 को 11(ग्यारह) बजे पूर्वाह्न मे बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय मे हुई बोर्ड की स्थगित 347 वीं साधारण बैठक की कार्यवाही-

सदस्यो की उपस्थिति-

1- श्री गणेश प्रसाद सिंह, स0वि0स0- अध्यक्ष

2- ,, प्राण मोहन ठाकुर, उप-सचिव,उद्योग विभाग- सदस्य

3- ,, तारक नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य

विशेष आमंत्रण पर उपस्थित

1- श्री ए0मोहन्ती, निदेशक,खादी कमीशन ,राज्य कार्यालय,पटना

2- ,, जटाधर मिश्र,वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0पदा0
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,पटना।

-: कार्यवाही :-

1- गत् बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करना-	(क) गत् बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करने के क्रम मे यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की दिनाक 27-3-98 को हुई 346 वीं साधारण बैठक की कार्यवाही कंडिका-16 केसंबंध मे यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भागलपुर खादी भवन एवं जिला कार्यालय के बेकार एवं अनुपयोगी सामान यथा भवन का काउन्टर,टाईपराइटर, सिलाई मशीन आदि सामान की बिक्री नहीं की जाय और इन सामानों को बगल के भवन तथा जिला कार्यालय मे स्थानान्तरित किया जाय ।
	(ख) कंडिका-19 के सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया कि वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0पदा0 एक पक्ष के अभ्यन्तर अपना प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे कि सावधि जमा राशि 55(पचपन) लाख रु0 जो केन्द्रीय वस्त्रागार को दी गई वह मूलत: किस-किस मद की राशि है।

कृपया-उपर देखें।

12/8/98

2- गत बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा-

समीक्षा के क्रम में क्रमांक -9 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बरकट्ठा (हजारीबाग) की जमीन एवं मकान की बिक्री से जो आय प्राप्त हो उसे विकास एवं विपणन के कार्य में लगाया जाय।

3- वित्तीय स्थिति की सूचना वर्ष 1998-99 के सम्बन्ध मे-

वित्तीय स्थिति की समीक्षा के क्रम में राज्य खादी आयोग निदेशक के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि खादी आयोग ,मुम्बई से पत्र एवं फैक्स द्वारा सम्पर्क स्थापित कर एक तिथि सुनिश्चित कर बोर्ड से कर्मचारियों को खादी आयोग,मुम्बई भेजकर बोर्ड और आयोग के बीच का ऋण सम्बन्धी हिसाब की मिलानी कर ली जाय।यह कार्य माह सितम्बर,98 मे सम्भावित खादी आयोग,मुम्बई में होनेवाली बजट चर्चा से पूर्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

वित्तीय स्थिति की सूचना की समीक्षा के क्रम में ही यह पाया गया कि खादी कमीशन से मिलनेवाली रिबेट की राशि का उल्लेख इस संलेख में नहीं है । इसलिए यह निदेश वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0पदा0 को दिया गया कि खादी कमीशन से कितनी राशि रिबेट मद में प्राप्त है,कितनी राशि भुगतान की जा चुकी है और कितनी राशि भुगतान करना शेष है ,का प्रतिवेदन एक पखवारा के अभ्यन्तर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे जिसे अगले बोर्ड क में रखा जासके ।

वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0पदा0 ने बताया कि राज्य सरकार से वर्ष
1994-95 में 1-50 करोड़
1995-96 में 40 लाख
1996-97 में 60 लाख
1997-98 में 1-50 करोड़ की राशि

बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है । उक्त राशि से वर्ष 1994-95 का 80 प्रतिशत राशि भुगतान की जा चुकी है । वर्ष 1996-97 का राशि भुगतान की जा रही है और वर्ष 1995-96 के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्देश अबतक प्राप्त नहीं हुई है और न रिभ्रेट कमिटी की बैठक ही हुई है । अतएव निर्णय लिया गया कि सरकार से बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आग्रह किया जाय।

राज्य सरकार से वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्थापन मद में प्राप्त होनेवाली राशि के सम्बन्ध में हुई समीक्षा के क्रम मे यह जानकारी मिली कि राज्य सरकार से बजट की स्वीकृति हो गई है परन्तु अभीतक बोर्ड को आबंटन की अधिकृत सूचना अप्राप्त है । अत: उद्योग विभाग, बिहार सरकार से यह आग्रह किया जाय कि वर्ष 1998-99 के लिए आबंटित राशि को शीघ्र विमुक्त करे ताकि बोर्ड के कर्मचारियों। पदाधिकारियो को समय पर वेतन का भुगतान किया जा सके ।

उद्योग विभाग के सदस्य प्रतिनिधि ने बोर्ड के कर्मचारियों।पदा० को वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्थापन मद की राशि प्राप्त अभीतक नहीं होने के बावजूद की जा रही वेतन भुगतान के बारे मे जानना चाहा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कमिटी रेड स्टैण्डीपर है और जिस राशि को वेतन में खर्च की गई है उसे स्थापना मद की राशि प्राप्त होते ही प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी चूंकि विगत वर्ष 1997-98 में भी पूरे वर्ष का बजट मार्च,1998 मे प्राप्त हुआ था और इसी प्रकार वेतन कर्मचारियो को दिया गया था । ऐसा न होता तो पूरा वर्ष वेतन नहीं मिलता ।इसपर बोर्ड ने सहमति व्यक्त की ।

-अगले पृष्ठ पर।

4-	बोर्ड के पदाधिकर्मिकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति पेंशन-सह-ग्रेच्युटी की सुविधा देने तथा तत्संबंधी नियमों को बोर्ड में लागू करने की स्वीकृति देना-	स्थगित।
5-	बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3396(वि0 (2) दिनांक 30-5-98 के अनुसार बोर्ड के ऐसे सेवकों को, जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, को दिनांक 1-1-98 के प्रभाव से संशोधित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान करने की स्वीकृति देना-	नीतिगत रूप से स्वीकृत। सरकार से राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।
6-	बोर्ड के कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन हो रही भारी कमी के कारण जिला कार्यालयों को संचालित रखने में उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में-	स्थगित।
7-	बिहार सरकार से प्राप्त रिबेट मद की राशि को पंजाब नेशनल बैंक के एक्जीबिशन रोड, पटना शाखा में नया खाता खोलकर जमा करने की घटनोत्तर स्वीकृति देना-	सलेख में वर्णित प्रस्तावानुसार घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
8-	बोर्ड के निर्णयानुसार अलाम्कर सादी भवन, बिस्टा को बन्द करने के विरोध में बिहार प्रदेश जनता दल के महामंत्री के पत्र पर विचार करने के सम्बन्ध में-	निर्णय लिया गया कि बिस्टा भवन को बन्द नहीं किया जाय।

17/8/98

17/8/98

9-	बोर्ड के मुख्य कार्यालय स्थित आयरन शेफ या स्ट्राँग रूम में सुरक्षित धनराशि की चोरी, सेंधमारी या किसी अन्य आकस्मिक दुर्घटना से धन की सम्भावित हानि से बचाने हेतु युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0,पटना को प्रीमियम की कुल राशि 10,630/-(दस हजार छः सौ तीस रु0) भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति देना-	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ।
10-	बोर्ड के नेत्र हीन एवं विकलांग सेवकों को संशोधित दर पर सवारी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में-	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई किन्तु भुगतान राशि सरकार ~~द्वारा~~ से प्राप्त होने पर की जायेगी।
11-	श्री पूर्णेन्दु नारायण सिंह, पिता- श्री ठाकुर दीप नारायण सिंह, ग्राम- बेलपुर केशो ,जिला-छपरा को श्रम न्यायालय,मुजफ्फरपुर द्वारा दिये गये फैसला।एवार्ड दिनांक 18-9-95 तथा माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-5-97 के आलोक में पिछले वेतन के साथ पुनर्नियोजन करने के सम्बन्ध में-	श्रम न्यायालय ,मुजफ्फरपुर द्वारा दिये गये एवार्ड तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-11-97 में श्री पूर्णेन्दु नारायण सिंह की नियुक्ति करना आवश्यक प्रतीत होता है परन्तु श्री सिंह की नियुक्ति दैनिक पारिश्रमिक पर कार्या0आ0 सं0 365 दिनांक 12-4-90 को श्री बी0एन0पाठक मु0का0प0दा0 द्वारा किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा 1-8-85 से दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति की रोक लगा दी गई है तथा उस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि 1-8-85 के बाद वैसी नियुक्ति वैध नहीं होगी ।फिर उक्त पदाधिकारी राज्य सरकार के परिपत्र की अवहेलना कर श्री सिंह की गलत नियुक्ति की उसके लिये वे पूर्णत: जिम्मेवार हैं। उद्योग विभाग के पत्रांक2824 दिनांक 9-5-98 द्वारा भी बोर्ड को निदेशित किया गया है कि श्री सिंह के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जाय। इस मामले में नियुक्ति करनेवाले पदा-

पदाधिकारीही नहीं बल्कि न्यायालय मे बोर्ड की ओर से प्रतिनिधित्व करनेवाले पदाधिकारी ने भी तथ्य को छिपाया है।

उक्त तथ्यों के आलोक मे श्री सिंह की नियुक्ति का अनुमोदन न्यायालय के आदेश के अनुरूप एवं बोर्ड के विधि परामर्शी के परामर्श के अनुसार नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती है। लेकिन इससे संबंधित न्यायालय का आदेश एवं उद्योग विभाग का आदेश बोरह की जांच 15 दिनों के अन्दर कर ली जाय। साथ ही इस नियुक्ति के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय।

12- बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय केन्द्रों के कर्मचारियो को, जिनका प्रस्थापना खर्च केन्द्र के लाभ-हानि खाता से वहन किया जाता है, को पूर्व से भुगतान किये जा रहे 114 प्रतिशत (एक सौ चौदह) प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर 182(एक सौ बेरासी)प्रतिशत महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता 10(दस) प्रतिशत दिनांक 1-4-95 से एवं बोनस वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेना-

स्थगित। परन्तु बोर्ड के अगले बैठक में इस विषय को पुनः रखा जाय और इसके लिए भवन, बोर्ड लेखा एवं बोर्ड प्रशासन के एक-एक प्रतिनिधि जांच कर प्रतिवेदन दे कि भवन के एवं विभागीय केन्द्र के लाभ-हानि खाता मे संसाधन की स्थिति बतावें। तदनुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

उक्त जांच की कार्रवाई के लिए वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0पदा0, श्री रामाश्रय चौधरी, लेखा पदाधिकारी और जमशेदपुर भवन के व्यवस्थापक इस जांच कमिटी के सदस्य होंगे। इनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को बोर्ड के अगले बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक कार्यावली

1- बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकृत विभिन्न वर्षों की बोनस की बकाया राशि की भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध मे-

सरकार से इस मद में राशि प्राप्त होने पर भुगतान का निर्णय लिया जायेगा।

2- बोर्ड के सेवा निवृत कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में-	स्वीकृत। परन्तु सरकार से इस मद की राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।
3- बोर्ड कार्यालय व्यवहार हेतु एक नया स्टाफ कार खरीदने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में-	सिद्धान्त: स्वीकृत। बोर्ड के सूद की राशि से खरीद करने का प्रस्ताव उद्योग विभाग को भेजा जाय।
4- बोर्ड में कार्यरत मधुमक्खी पालन उद्योग के 19 एवं कुम्भकारी उद्योग के 1 कर्मचारियों के बकाये वेतन के विरुद्ध अग्रिम भुगतान करने के सम्बन्ध में-	उद्योग विभाग के सदस्य प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। इनके अनुसार सरकार गैर योजना के अतिरिक्त किसी मद में राशि देने के लिए तैयार नहीं है।
5- श्री नेमूलाल चौरसिया, पिता-श्री रामजनम चौरसिया, ग्रा०पो०-जोकहा देवरिया (उत्तर प्रदेश) जो दिनांक 7-8-97 से जेनरेटर चालक के रूप में खादी भवन पटना में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं, की सेवा नियमित करने के सम्बन्ध में-	यह प्रस्थापना समिति का मामला है।
6- बोर्ड मुख्यालय मे सहायक सम्वर्ग में राज्य सरकार द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी के प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी के रूप मे स्वीकृत पद पर कार्यरत सहायकों की प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में-	स्थगित। कार्मिक विभाग का परिपत्र देखकर एवं रोस्टर का पालन इस मामला मे किया गया या नहीं, की जानकारी के साथ अगले बैठक मे पुन: प्रस्तुत किया जाये।
7- पंचम पुनरीक्षित वेतनमान् मे बोर्ड के टंकक एवं विपत्र लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने की स्वीकृति देना-	स्थगित। यह लोक उद्यम ब्यूरो के अनुरूप है अथवा नहीं इसकी जांच के साथ अगले बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
8- बोर्ड मुख्यालय कार्यालय के टंकण यंत्रों के रख-रखाव के लिए रोहन्स ट्रेड, फ्रेजर रोड, पटना के साथ संविदा-	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

9- बोर्ड के अन्तर्गत चतुर्थवर्गीय सम्वर्ग से प्रोन्नत तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगी रोक हटाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में-	स्थगित। लोक उद्यम ब्यूरो का परिपत्र देखकर जाँच कर ली जाय। यदि बोर्ड लोक उद्यम ब्यूरो के परिधि में नहीं है तो इससे सम्बन्धित कागजात बोर्ड के समक्ष रखा जाय।
10- बोर्ड मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के सामान्य गतिविधि संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए आकस्मिकता व्यय एवं यात्रा भत्ता हेतु कुल 9,52,944-71 रु0मात्र कर्णांकित करने की स्वीकृति देना-	सेलेख मे वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई ।
11- गया शहर में स्थित घुघड़ीटांड महल्ला-मो0 चांदचौरा, थाना-कोतवाली (गया) मे बोर्ड द्वारा क्रय की गई जमीन को बिक्री करने के सम्बन्ध में- (गत् बैठक से स्थगित)	स्वीकृत। इस भूमि की बिक्री बाजार दर पर करने के निमित्त विधिवत अखबार एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रचारित कर बिक्री की कार्रवाई की जाये।

अन्त में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

(हस्ताक्षर) 12/8/98
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

(हस्ताक्षर) 12/8/98
अध्यक्ष।

मो0कुसंना। (हस्ताक्षर) 12/8/98

ज्ञापांक:- प्र0 1560 दिनांक:- 20-8-98

प्रतिलिपि प्रेषित – बोर्ड के सभी सदस्यगण, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर) 12/8/98
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक:- प्र0 1560 दिनांक:- 20-8-98

प्रतिलिपि प्रेषित – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई-56 (2) निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, पटना (3) वित्तीय सलाहकार एवं मु0 लेखपाल, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर) 12/8/98
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक:- प्र0 1560 दिनांक:- 20-8-98

प्रतिलिपि प्रेषित – अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग), बिहार

(हस्ताक्षर) 12/8/98

सरकार, पटना (2) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।

9/8/18

मुख्य कार्यपालक पदा०

ज्ञापांक :- 2911265 दिनांक :- 20-8-18

प्रतिलिपि प्रेषित - उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (2) सभी विकास पदाधिकारी (3) सभी प्रशासन पदाधिकारी (4) सभी अंकेक्षण लेखा पदाधिकारी (5) लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार कार्रवाई कर अनुपालन की सूचना शीघ्र दें।

12/8/18

मुख्य कार्यपालक पदा०

13/8.18